न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

(113)

समक्षः—श्री के0सी0 जैन
सदस्य

प्रकरण क्रमांक निगरानी 1041—एक/2004 के विरूद्ध पारित आदेश दिनांक 24—05—2004 के द्वारा आयुक्त रीवा संभाग, रीवा के प्रकरण क्रमांक 99/1994—95/निगरानी

.....

जगदीश तनय भूपनारायण
निवासी—ग्राम जोबगढ़, तहसील देवसर
जिला—सीधी

..... आवेदक

विरूद्ध

1— मध्यप्रदेश शासन
2— ग्राम पंचायत जोबगढ़, तहसील देवसर
जिला—सीधी

.....अनावेदकगण

.....

श्री मुकेश बेलापुर एवं श्री एस0के0 वाजपेयी, अभिभाषक, आवेदक

.....

आदेश

(आज दिनांक 23/09/2016 को पारित)

यह निगरानी आयुक्त रीवा संभाग, रीवा द्वारा प्रकरण क्रमांक 99/1994—95/निगरानी में पारित आदेश दिनांक 24—05—2004 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू—राजस्व संहिता 1959 (संक्षेप में आगे जिसे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण का संक्षिप्त सार यह है कि नायब तहसीलदार देवसर, जिला—सीधी द्वारा उनके प्रकरण क्रमांक 18/अ—19(4)/93—94 में पारित आदेश दिनांक 26.09.94 द्वारा ग्राम जोबगढ़ की भूमि खसरा नं0 431 रकबा 0.20, खसरा नं0 434 रकबा 0.17 खं0नं0 538 पर रकबा 0.03 आवेदक को मध्यप्रदेश कृषि प्रयोजन के लिये उपयोग की जा रही दखल रहित भूमि पर भूमिस्वामी अधिकारों का प्रदाय किया जाना, विशेष उपबंध अधिनियम 1984 के तहत भूमिस्वामी घोषित किया गया । उक्त आदेश से परिवेदित होकर अनावेदक क्रमांक 02 सरपंच ग्राम पंचायत क्षेत्र जोबगढ़ तहसील देवसर, जिला—सीधी द्वारा न्यायालय अपर कलेक्टर बैढ़न,

जिला–सीधी के समक्ष निगरानी प्रस्तुत की गई जो प्रकरण क्रमांक 53/निग0/94–95 में पारित आदेश दिनांक 08.02.95 से निगरानी आग्रह्य की गई । उक्त आदेश से परिवेदित होकर अनावेदक क्र0 2 द्वारा निगरानी आयुक्त रीवा संभाग, रीवा के समक्ष निगरानी प्रस्तुत की गई, जो प्रकरण क्रमांक 99/निगरानी/94–95 में दर्ज होकर, दिनांक 24.05.2004 द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार की गई । इसी आदेश के विरूद्ध आवेदक द्वारा यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

2/ आवेदक के अधिवक्ता द्वारा तर्क प्रस्तुत कर बताया कि प्रकरण में विवादित भूखण्ड पर आवेदक का वास्तविक आधिपत्य दिनांक 02.10.1984 के पूर्व से ही चला आ रहा था । वर्ष 1983 के वार्षिकी खसरे में आवेदक के पिता का नाम की प्रविष्टि आाधिपत्यधारी के रूप में की गई थी, क्योंकि इस समय राजस्व कर्मचारी ऐसा ही समझते रहे । लेखी एवं मौखिक साक्ष्य से नियम दिनांक एवं उसके पूर्व से आवेदक आधिपत्य प्रमाणित है । आवेदक को भूमि व्यवस्थापन की पात्रता थी एवं है । आवेदक के पास भूमि व्यवस्थापन के समय की कोई भूमि नहीं थी। आवेदक के विरूद्ध लगाया गया आरोप सही नहीं है । प्रकरण में विधिनुसार कार्यवाही के पश्चात व्यवस्थापन आदेश दिया गया था । उनके द्वारा तर्क में यह भी बताया गया कि आवेदक के पिता के नाम दर्शायी गई भूमि पैतृक सम्पत्ति है जिसमें आवेदक के पिता के अतिरिक्त आवेदक तीन भाई तथा तीन बहने भागीदार है । आवेदक का अपना परिवार है, जिसके भरण पोषण के लिये आवेदक के पास कोई भूमि नहीं थी। आवेदक को मात्र कुछ अनाज प्राप्त होता था । अतः आवेदक को भूमि व्यवस्थापन किया जाना न्यायोचित है। अनावेदक ग्राम पंचायत द्वारा आवेदक के हित में भूमि व्यवस्थापन किये जाने में अपनी सहमति दी गई थी। नये सरपंच द्वारा आवेदक से व्यक्तिगत द्वेषवश आवेदक के विरूद्ध कार्यवाही की गई है । ग्राम पंचायत ने विवादित भूमि को प्राप्त करने के लिये कोई आवेदन नहीं दिया था । सरपंच द्वारा बनावटी कार्यवाही की गई । अतः निवेदन है कि अधीनस्थ न्यायालय आयुक्त रीवा द्वारा पारित आदेश निरस्त करते हुये निगरानी स्वीकार किया जावे ।

3/ अनावेदकगण के अधिवक्ता द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के प्रस्तुत अभिलेखों के आधार पर प्रकरण का निराकरण किये जाने का निवेदन किया गया है ।

4/ मेरे द्वारा उभयपक्ष के अधिवक्ताओं के तर्क श्रवण किये गये तथा अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेखों का परिशीलन किया गया तथा आदेश पत्रिका का अध्ययन किया। आदेश पत्रिका

के अध्ययन करने पर पाया गया कि नायब तहसीलदार ने बिना पात्रता के आवेदक को भूमि आवंटित कराया है । अधिनिमय 1984 की धारा 2ए के अनुसार केवल ऐसे व्यक्ति को भूमि आवंटित की जा सकती है जो कृषक श्रमिक हो तथा कोई भूमि धारण न करता हो, नायब तहसीलदार ने उक्त नियमों की अवहेलना करते हुये आवेदक क पास 1.21 है0 भूमि होते हुये भी प्रश्नाधीन भूमि का आवंटन किया है । नायब तहसीलदार ने एक ही दिन में प्र0क्र0 17/अ–19(4)/93–94, प्र0क्र0 18/अ–19(4)/93–94, एवं 19/अ–19(4)/93–94 द्वारा तीन सगे भाईयों को अपने आदेश दिनांक 27.09.94 द्वारा अवैधानिक रूप से तथा मिलीभगत करके भूमि का व्यवस्थापन किया । इन तीनों प्रकरणों में कोई व्यक्ति भूमिहीन नहीं था । ग्राम की भूमि खुर्दबुर्द होने से रोकने के लिये गांव का प्रत्येक नागरिक हितबद्ध पक्षकार होता है । अनावेदक ग्राम का सरंपच था तथा उसका कर्तव्य है कि वह ग्राम नागरिकों के हितों का संरक्षण करें साथ ही गावं की सम्पत्ति की सुरक्षा करना उसका परम कर्त्तव्य है । ऐसी स्थिति में अनावेदक हितबद्ध पक्षकार है। अपर कलेक्टर द्वारा उसे पक्षकार न मानने में गंभीर भूल की है । वह भी ऐसी परिस्थिति मेंज ब नायब तहसीलदार द्वारा अपात्र व्यक्तियों का शासकीय भूमि का व्यवस्थापन कर खुर्दबुर्द किया जा रहा हो । अधीनस्थ न्यायालय अपर कलेक्टर बैढ़न एवं नायब तहसीलदार द्वारा पारित आदेश अवैधानिक एवं विधि के विपरीत है ।

5/ न्यायालय नायब तहसीलदार के प्रकरण में संलग्न पटवारी प्रतिवेदन का अवलोकन किया गया । पटवारी प्रतिवेदन के अनुसार आवेदक के पिता के नाम 7.27 हे0 भूमि तथा अनावेदक के पट्टा बाट के अनुसार अनावेदक के पास 1.2 है0 भूमि होना प्रतिपादित किया । नायब तहसीलदार के प्रकरण में इश्तहार जारी किया जाना नहीं पाया गया । उक्त प्रकरण में पंचायत द्वारा उक्त भूमि को सार्वजनिक प्रयोजन हेतु किये जाने का आवेदन पत्र प्राप्त है, जिसके अनुसार पंयाचत भवन, काजीहाउस के निर्माण आदि की मांग की गई है । अधीनस्थ न्यायालय के प्रकरण में संलग्न पारित आदेश पिंटिंग है जिनके रिक्त स्थानों की पूर्ति करते हुये नायब तहसीलदार ने हस्ताक्षर किया है । प्रकरण के अवलोकन से यह भी स्पष्ट होता है कि आवंटन के समय आवेदक भूमिहीन नहीं था । ग्राम पंचायत द्वारा उक्त भूमि सार्वजनिक प्रयोजन हेतु मांगी गई थी।

6/ अधिनियम 1984 की धारा 3 के अंतर्गत गांव की दखलरहित समस्त भूमि पर 2 अक्टूबर 1984 को किसी श्रमिक का कब्जा ही ऐसे व्यक्ति द्वारा उक्त दिनांक से उक्त

भूमिस्वामित्व अधिकारों को पारित किया जावेगा । अर्थात् 1984 के प्रावधानों के अनुसार केवल कृषक श्रमिक में ही भूमि आवंटित किये जाने का प्रावधान है । अधिनियम 1984 की धारा 2(ए) के तहत कृषक श्रमिक की परिभाषा दी गई है जिसके अनुसार– '' कृषक श्रमिक से अभिप्राय ऐसे व्यक्ति जो कोई भूमि धारण नहीं करता और जिसकी जीविका का मुख्य साधन भूमि पर शारीरिक श्रम करना है और उसके परिवार का जिसका कि वह सदस्य है कोई सदस्य किसी भूमि को धारण नहीं करेंगा ।''

7/ उपरोक्त से स्पष्ट है कि अधिनियम 1984 के तहत किसी ऐसे व्यक्ति को भूमि का नहीं किया जा सकता, जिसके पास पूर्व से कोई भूमि पारित की गई हो । प्रश्नाधीन प्रकरण में पटवारी रिपोर्ट में यह स्पष्ट उल्लेख किया है कि आवेदक के पिता के पास 1.21 है0 भूमि है। ऐसी स्थिति में प्रथम दृष्टया ही आवेदक को अधिनिमय 1984 के तहत भूमि प्राप्त करने का अधिकार ही नहीं था । नायब तहसीलदार द्वारा अधिनियम की घोर अवहेलना करते हुये आवेदक को अवैधानिक एवं छलपूर्वक भूमि का आवंटन किया है । अपर कलेक्टर बैढ़न द्वारा नायब तहसीलदार द्वारा की गई अवैधानिक कार्यवाही के विरूद्ध निगरानी को तकनीकी आधार पर अग्राहय करना आश्चर्यजनक है । अपर कलेक्टर द्वारा या तो अधीनस्थ न्यायालय के आदेश का अवलोकन करने का प्रयास नहीं किया, यदि वे अधीनस्थ न्यायालय को मंगवा कर अवलोकन करते तो अवश्य ही वस्तु स्थिति उनके समक्ष आ जाती । उनके द्वारा प्रकरण को सुनवाई हेतु अग्राह्य करने में एक गम्भीर भूल की है । जिसके परिणाम स्वरूप नायब तहसीलदार का अवैधानिक कृत्य प्रकाश में नहीं आता । अनावेदक द्वारा यदि निगरानी आयुक्त न्यायालय में प्रस्तुत नहीं की होंती तो नायब तहसीलदार का उक्त कृत्य प्रकाश में नहीं आँता।

8/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर यह निर्विवाद रूप से सिद्ध होता है कि होता है कि नायब तहसीलदार द्वारा अधिनियम 1984 के प्रावधानों के सर्वथा विपरीत पाया जा कर अवैधानिक रूप से आवेदक को शासकीय भूमि का आवंटन किया है । अधीनस्थ न्यायालय अपर कलेक्टर बैढ़न के समक्ष निगरानी को तकनीकी आधार पर निरस्त करने में भूल की है। इन्हीं बिन्दुओं के आधार पर आयुक्त रीवा संभाग रीवा द्वारा अपर कलेक्टर बैढ़न द्वारा पारित आदेश दिनांक 08.02.95 एव नायब तहसीलदार द्वारा पारित आदेश दिनांक 27.09.94 निरस्त किया जाता है । चूँकि नायब तहसीलदार द्वारा यह सब कार्यवाही जानबूझ कर अधिनियम 1984 की खुली अवहेलना करते हुये अपना आदेश दिनांक 27.09.94 पारित किया था। अतः

उनकी यह कार्यवाही प्रथम दृष्टया ही शासन को नुकसान पहुॅचाने तथा दुर्भावना पूर्ण पाये जाने से उनके विरूद्ध आयुक्त द्वारा विभागीय कार्यवाही किये जाने के आदेश दिये गये । मैं आयुक्त रीवा संभाग, रीवा के इस आदेश से सहमत हूॅ, क्योंकि नायब तहसीलदार ने कानून को ताक में रखकर अर्थात विधि के विपरीत, एवं उल्लेखित प्रावधानों के विपरीत आदेश पारित किया है जो कतई ही स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है । फलतः निगरानी निरस्त की जाती है । प्रकरण समाप्त किया जाकर दाखिल रिकॉर्ड हो ।

(के0सी0 जैन)
सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर